

FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

2020/00419

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
जिला जोधपुर

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या : 102/2020

प्रार्थी

अप्रार्थी

संबात जोधपुर जिल्ला अहकाम क्रमांक 115/2020
किस्म मुकदमा- अन्तर्गत धारा 131, 136 एल.आर एक्ट 1956

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
21/12/2020	<p>तहसीलदार लूणी के द्वारा प्राप्त भूअभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) के तहत जमाबन्दी में मौजूदा खसरो को राजस्व नक्शों में दर्ज खसरो से वन-दू-वन मिलान के मध्यनजर जिन खसरो में रेकर्ड, मौका व नक्शों में गिनता आ रही है यथा किसी सरकारी खसरे में से कई खातेदारों को पूर्व में गे मुवाडा एवं अन्य किस्म के छोटे-छोटे रकबे के खसरे आवंटित किये गये जिनका नामान्तरण पूरा कर नजरी नक्शा आवटन व आवटन सम्बन्धी दरतावेज इत्यादि उपलब्ध नहीं है जिनकी दिशा व स्थिति स्पष्ट नहीं हैं। अतः ऐसे खसरे को मूल खसरे में एकीकरण के प्रस्ताव हल्का पट्टवारी <u>कालि</u> मय अनुशापा भूअनिरीक्षक <u>कालि</u> एवं तहसीलदार लूणी से प्राप्त हुये, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा अन्तर्गत 131,136 के तहत मूल प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को माफिक प्राप्त मूल प्रस्ताव अनुसार (DILRMP) के तहत रेकर्ड में एकीकरण कर रेकर्ड दुरुस्त करे। पत्रावली फंसल शुमार होकर दफतर दाखिल हो।</p> <p><u>कालि</u> सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी (जोधपुर)</p>	